


199



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर
III/निगरानी/अशोकनगर/भू.स्व./2017/3947
प्रकरण क्रमांक :-/2017 निगरानी जिला अशोकनगर

आर.ए.बी. लेख
दिनांक

17-10-17

पेशी-दिनांक 30-10-17

Rajeev

Rajeev
आर.ए.बी. लेख
16-10-17
R

ओम प्रकाश पुत्र श्री करन सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम सोनेरा तहसील व जिला
अशोकनगर मध्य प्रदेश -आवेदक
बनाम
म. प्र. शासन -अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) मध्य प्रदेश भू-राजस्व
संहिता न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर
द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/स्व.निग./2006-07 मे
पारित आदेश दिनांक 23/09/2017 से परिवेदित
होकर निगरानी प्रस्तुत है।

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर
प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण :-

प्राप्त
आर.ए.बी. लेख
दिनांक 10/10/17
आर.ए.बी. लेख (आ.सं.)
आर.ए.बी. लेख (आ.सं.)

1- यह कि, ग्राम सोनेरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 391/2 रकवा 1.589
हेक्टर के भूमि स्वामी गजराज सिंह पुत्र सरदार सिंह थे, गजराज
सिंह को उक्त भूमि का पट्टा 1980 के दशक मे प्राप्त हुआ था
उक्त भूमि पर गजराज सिंह काबिज होकर खेती करते चले आ
रहे थे, गजराज सिंह को भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके थे
शासकीय अभिलेख मे भूमि स्वामी दर्ज थे तथा खसरे मे
अहस्तान्तरणीय शब्द नहीं लिखा था।

2- यह कि, गजराज सिंह द्वारा आवेदक को उक्त भूमि का विक्रय
दिनांक 23/07/2003 को सम्पादित किया था उस समय खसरे
मे अहस्तान्तरणीय टीप अंकित नहीं थी उनका नाम भूमि स्वामी के

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/3947

जिला- अशोकनगर

ओमप्रकाश विरुद्ध म.प्र.शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 22-08-19 | <p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 12/स्वमेवनिगरानी/06-07 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, जिला - ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, जिला ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p> <p>(जे0 के0 जैन) सदस्य</p> | |